न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्री कैलास चन्द्र लखारा,आर ए एस

_अपील संख्या– एल आर ए/184/2019

उनवान

1. गोपाल लाल पिता कालु भील निवासी भैरूखेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. रतन लाल पिता प्रेमा भील निवासी भैरूखेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. गोपाल पिता धन्ना भील निवासी भैरूखेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 16/2017 निर्णय दिनांक 28.11.2017

अभिभाषक : 1. श्री श्याम लाल गुर्जर , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 7.2.2020

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की ग्राम आगूंचा प्रथम तहसील स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 3898 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3899 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 3900 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 3901 रकबा 18 बिस्वा, किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेण्ट प्रोडक्ट) रूपान्तरण की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया कि ''कुतुबुदीन नीलगर निवासी भैरूखेडा का वर्णित आराजियात पर कब्जा है । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रकट हुआ है। '' ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारीज किया जता है। '' साथ ही तहसीलदार को यह निर्देश भी प्रदान किये कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय में पेश करे।'' जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, शीलवाड़ा

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के स्तर से प्रस्तुत किये गये आवेदन में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थीगण ने एक परिवाद स्थाई लोक अदालत जिला मुख्यालय भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जवाब प्रत्यर्थी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से दिनांक 14.2.2018 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थीगण के आवेदन को दिनांक 28.11.2017 को अस्वीकार करने का अंकन किया गया । जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण अनपढ व कानून के जानकारी नहीं होने के कारण मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाने से अपील अन्दर अवधि में प्रस्तुत नहीं कर सके एवं मजदूरी से वापस आने पर मामले में कानूनी जानकारी ली जाकर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के समय को क्षम्य किया जावे।

अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में तहसीलदार हुरडा से कराई जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.8.2017 व स्वयं प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा) ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 26.10.2017 को आधार स्तम्भ लिया गया है। वह विधिसम्मत नहीं है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्राधिकृत अधिकारी ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10. 2017 का उल्लेख निर्णय में करते हुए दर्शाया है कि खातेदार गोपाल भील ने बताया कि उक्त भूमि मेरी नही है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न मैंनें उक्त भूमि को सीमेण्ट उद्योग में कन्वर्ट करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। बल्कि वर्णित जमीन कुतुबुदीन पिता कमरूदीन नीलगर निवासी भैरूखेडा आगूंचा वालों की है। कुतुबुदीन ने यह जमीन छोटू, नाथु, ईश्वर वगैरह से खरीद की थी। मुझे तो वह बताते उस कागज पर में अपना अंगूठा निशानी लगा देता हूँ। मौके पर कब्जा भी कुतुबुदीन का होना बताया गया । साथ ही वक्त मौका निरीक्षण अन्य मौतबिरान के नाम का उल्लेख अपने निर्णय में किया है। जो विधिसम्मत नहीं है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रथमदृष्टया प्राधिकृत अधिकारी ने अपने निर्णय में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए स्पष्ट रूप से न्याय का हनन कर आदेश पारित किया । क्योंकि क्षैत्र का तहसीलदार जो भू स्वामी की हैसियत से परिचित है। तहसीलदार हुरडा ने वादग्रस्त आराजियात को कृषि से अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.8.2017 में अंकित किया गया । जब तहसीलदार भू स्वामी की ओर से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ऐसा कोई कारण नहीं था कि स्वयं प्राधिकृत अधिकारी भूमि का संपरिवर्तन कराने के संबंध में जांच करें। कुछ समय के लिए इस तथ्य को युक्तियुक्त मान भी लिया जावे तो राजस्व अभिलेख इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि संपरिवर्तन होने वाली आराजी भू भाग, गोपाल, रतन व गोपाल भील के नाम से अभिलिखित हैं। जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा) ने वैमनष्यता संपरिवर्तन कराये जाने वाली भूमि का मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट तैयार की जिसमें सभी तथ्य मौखिक व काल्पनिक है जो रेकार्ड से प्रमाणित नहीं होते हैं।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा) द्वारा इस मामले में वैमनष्यता क्यों उत्पन्न क्यों हुई । जिसका स्पष्ट कारण यह है कि अपीलार्थीगण के खाते की कृषि भूमि का ल्मबे समय तक संपरिवर्तन नहीं करने के कारण अपीलार्थीगण ने स्थाई लोक अदालत जिला मुख्यालय भीलवाडा की शरण में जाकर अपने अनुतोष की अभिशंषा की गई। माननीय स्थाई लोक अदालत अधिकारी ने प्राधिकृत अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किये और इसी वजह से प्राधिकृत अधिकारी के मन में अपीलार्थीगण के खिलाफ वैमनष्यता पैदा हो गई। इसके साथ–साथ यह भी अनुरोध है कि अपीलार्थी के समान ही एक अन्य मामला श्री सोहन पिता सुखदेव ढोली निवासी भगवानपुरा (आगूँचा) की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 14.11.2017 को आवेदन स्वीकार कर संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया। जबकि अपीलार्थीगण का व सोहन लाल ढोली का मामला एक समान था। केवल मात्र प्राधिकृत अधिकारी की अपीलार्थीगण के विरूद्ध उत्पन्न हुई रंजिश के कारण प्राधिकृत अधिकारी ने न्यायिक प्रक्रियाओं का हनन करते हुए बेक डेट में आलोच्य आदेश सुनाया गया । जो इस तथ्य से प्रमाणित है कि प्राधिकृत अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 28.11.2017 को सुनाया गया । जिस पर क्षैत्र के तहसीलदार की ओर से दिनांक 13.3.2018 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जबकि धारा 175 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की कृषि भूमि को स्वर्ण जाति के सदस्यों के पक्ष में हस्तगत किया गया

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है। लेकिन राजस्व अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं । इसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण की कृषि भूमि को सवर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में काल्पनिक होना मानते हुए धारा 175 की कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये हैं । यदि अपीलार्थीगण के खाते की कृषि भूमि पर सवर्ण जाति के सदस्यों का कब्जा होना प्राधिकृत अधिकारी मानते हैं तो इस संबंध में काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी प्रभावशील है। विहित नियमों के तहत भू स्वामी तहसीलदार स्वयं धारा 183 बी के तहत कार्यवाही करने के लिए नियमों में सक्षम है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्राधिकृत अधिकारी ने अपीलार्थीगण की ओर से कृषि भूमि संपरिवर्तन कराने का आवेदन प्रस्तुत नही करना अपने निर्णय में अंकित किया है जो सरासर असत्य होकर निराधारहै । क्योंकि आवेदन पर हस्ताक्षर/अंगूष्ठ निशानी व फोटोग्राफ अपीलार्थीगण के ही लगे हुए थे। यदि हस्ताक्षर व अंगूष्ठ निशानी में किसी प्रकार का प्राधिकृत अधिकारी को संदेह हुआ तो इस संबंध में एफ एस एल से जांच करवाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र थे। प्राधिकृत अधिकारी ने अपने आदेश में काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी का उल्लंघन होना उल्लेखित किया है । जो सरासर अन्यायपूर्वक न्याय का हनन है। क्योंकि अपीलार्थीगण की ओर से सवर्ण जाति के सदस्यों के पक्ष में अपने खाते की कृषि भूमि का कभी हस्तान्तरण नहीं किया गया तथा न हस्तान्तरण के तथ्य प्रमाणित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निवेदन किया । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण दर्शाया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की ग्राम आगूंचा प्रथम तहसील स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 3898 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3899 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 3900 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 3901 रकबा 18 बिस्वा, किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेण्ट प्रोडक्ट) रूपान्तरण की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार हुरडा से बिन्दुवार मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी संवत 2073 से 2075 में वादग्रस्त आराजी नम्बर 3898 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3899 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 3900 रकबा 1 बीघा 05

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बिस्वा, आराजी नम्बर 3901 रकबा 18 बिस्वा, किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा अपीलार्थीगण/खातेदार के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

13. दिनांक 26.2.2017 को पटवारी हल्का द्वार तहसीलदार हुरडा के आदेश की पालना में पर्चा मौका तैयार किया गया । उक्त पर्चा मौका में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई कि " **रिकार्ड अनुसार ग्राम आगूंचा प्रथम तहसील स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 3898 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3899 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 3900 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 3901 रकबा 18 बिस्वा, किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा गोपाल लाल पिता कालू, रतन लाल पिता प्रेमा हिस्सा 2/3 सा0 भैरू खेडा , गोपाल पिता धन्ना हिस्सा 1/3, भील देह मजरा परसरामपुरा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजियात मौके पर खाली पडी है। कोई निर्माण नहीं है। ये आराजियात हाईटेंशन लाईन से 100 मीटर दूर स्थित है। आराजी नम्बर 3898 में से 0.05 बीघा, आराजी नम्बर 3899 रकबा 0.02 बीघा आराजी नम्बर 3900 में से 0. 03 व आराजी नम्बर 3901 में से 0.03 बीघा भूमि को रास्ते हेतु समर्पण करने के उपरान्त आराजी नम्बर 3898 में से 2. 18 बीघा आराजी नम्बर 3900 में से 1.02 बीध व आराजी नम्बर 3901 में से 0.15 बीघा कुल 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि को रूपान्तरित किया जाना उचित होगा।** "अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा तैयार सुदा पर्चा मौका एवं बिन्दुवार रिपोर्ट की गई है। जिसमें वादग्रस्त भूमि को रूपान्तरित करने की अभिशंषा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न आवेदन पत्र पर खातेदारान के फोटो चस्पा किये गये हैं एवं खातेदारान/प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं साथ ही खातेदारान

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

की पहचान स्वरूप मत निर्वाचन पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न की गई है। वादग्रस्त आराजी का मानचित्र भी संलग्न किया गया है।

14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकन करते हुए आवेदन पत्र खारिज किया है कि **''प्रकरण में गोपाल लाल पिता कालू रतन लाल पिता प्रेमा निवासी भैरू खेडा, गोपाल पिता धन्ना निवासी परसरामपुरा का नाम खातेदार की हैसियत से जमाबंदी में दर्ज अवश्य है किन्तु इनके द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त खातेदारों का आराजियात पर कब्जा है । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि कुतुबुदीन नीलगर निवासी भैरूखेडा के द्वारा बेनामी रूप से कय कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानून 1955 की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रकट हुआ है।''** साथ ही वादग्रस्त आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु **तहसीलदार हुरडा को भी निर्देशित करते हुए आवेदन पत्र खारिज किया है।**

15. अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर अन्य सवर्ण व्यक्ति का जबरन कब्जा किये जाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र/वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि यह तथ्य जानकारी में आता भी है तो भी सुओ मोटो तहसीलदार धारा 183 बी के तहत विधिवत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर किसी अन्य का कब्जा होने बाबत कोई कार्यवाही नहीं चाही गई है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

16. वर्ष 1981 में धारा 175 में संशोधन कर यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अन्तरण इस अधिनियम के उपबन्धों के विरूद्ध किया जाता है तो अन्तरक एवं अंतरिति दोनों बेदखली के दायी होंगे। इस प्रयोजन के लिए यह उपबंधित किया गया कि इस अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए यदि किसी जोत का अन्तरण करने के लिए कोई दस्तावेज निष्पादित कर दिया गया , तो धारा 175 लागू होगी । यहॉ यह निर्विवाद है कि इस प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

17. धारा 42 का उद्धेश्य कमजोर वर्ग के हित की रक्षा करना है और इसकी सुरक्षा के लिए धारा 175 बनायी गयी है न कि कमजोर वर्ग से भूमि छीन कर राज्य (भूमिधारी) में नीहित करने के उद्धेश्य से । कुतुबुदीन नीलगर निवासी भैरूखेडा का वर्णित आराजियात पर कब्जा हो तो उस पर 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये न कि धारा 175 के तहत। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत तहसीलदार हुरडा को निर्देशित करते हुए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

18. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 को निरस्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ तहसीलदार के माध्यम से प्रार्थी को भूमि का कब्जा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिलवावे एवं राजस्थान भू राजस्व

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.3.2020 को उपस्थित रहें।

19. निर्णय आज दिनांक 7.2.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.07 13:56:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: